संख्या-I/ 1269280 /2026/9-8002(002)/2/2024
कम्प्यूटर सं०-1879512

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अमेठी, महराजगंज, बरेली, गाजियाबाद,
हरदोई, ललितपुर एवं बलरामपुर।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ : दिनांक 17 मार्च, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय क्षेत्रों में 'पार्कों का निर्माण एवं विकास योजना' योजनान्तर्गत पार्कों के विकास हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पार्क व ओपन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र को बढ़ाये जाने हेतु 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजना' शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-2025/05ज/2024, दिनांक 20.05.2025 (यथा संशोधित 07.07.2025) द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त योजना के अंतर्गत कुल 08 नगर पालिका परिषदों क्रमशः गौरीगंज, जनपद-अमेठी, महराजगंज, जनपद-महराजगंज, सिसवां बाजार, जनपद-महराजगंज, आंवला, जनपद-बरेली, लोनी, जनपद-गाजियाबाद, हरदोई, जनपद-हरदोई, ललितपुर, जनपद ललितपुर एवं बलरामपुर जनपद-बलरामपुर में पार्क व ओपेन स्पेस के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये। मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2- अतएव 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि में से कुल 08 नगर पालिका परिषदों क्रमशः गौरीगंज, जनपद-अमेठी, महराजगंज, जनपद-महराजगंज, सिसवां बाजार, जनपद-महराजगंज, आंवला, जनपद-बरेली, लोनी, जनपद-गाजियाबाद, हरदोई, जनपद-हरदोई, ललितपुर, जनपद ललितपुर एवं बलरामपुर जनपद-बलरामपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष कॉलम-5 में अंकित कुल धनराशि **रूपये 924.5 लाख (रूपये नौ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एकमुश्त रूप में शत-प्रतिशत धनराशि कुल **रूपये 924.5 लाख (रूपये नौ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)** को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.	**नगरीय निकाय का नाम एवं कार्य**	**परियोजना की कुल लागत**	**विधीक्षण के उपरांत अनुमानित लागत (जी०एस०टी० सहित) (लाख में)**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)**	**प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (जी०एस०टी० सहित) (लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	नगर पालिका परिषद गौरीगंज, जनपद-अमेठी में ग्राम माधौपुर परगना अमेठी तहसील गौरीगंज की गाटा संख्या-70/0.076 हे0, 73/0.433 व गाटा	141.14	104.27	104.27	104.27

	संख्या- 74/1.043 हे० में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।				
02	नगर पालिका परिषद महराजगंज सीमान्तर्गत वार्ड नं0 14 सुबाष नगर में बलिया नाला गाटा संख्या-2009/2318 रकबा-1.3150 हे० में मियावाकी पद्धति से पार्क एवं ओपेन जिम का निर्माण कार्य।	96.14	90.55	90.55	90.55
03	नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार में वार्ड नं-05 गाँधी नगर में मियावाकी पद्धति से पार्क एवं ओपेन जिम का निर्माण कार्य।	95.87	90.29	90.29	90.29
04	नगर पलिका परिषद आवलां, जनपद-बरेली के वार्ड नं0 7 में गाटा सं0 351 रकबा 1.113 हे० में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।	149.99	149.94	149.94	149.94
05	नगर पलिका परिषद लोनी जनपद-गाजियाबाद के सीमान्तर्गत वार्ड नं0-29 में रामेश्वर पार्क, रजिस्ट्रार कार्यालय के पास स्थित पार्क में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।	79.86	64.91	64.91	64.91
06	नगर पालिका परिषद हरदोई के वार्ड संख्या-4 मो० ऊँचा थोक के गाटा संख्या-1048, 1049 में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।	149.70	148.77	148.77	148.77
07	नगर पालिका परिषद ललितपुर के सीमान्तर्गत रामनगर मौजा गाटा सं0-161 में रकवा 1.6190 हे० में मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।	150.00	133.1	133.1	133.1
08	नगर पालिका परिषद बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर में वार्ड पूरबटोला में शिव मंदिर के बगल चिन्हित भूमि पर मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण एवं पार्क निर्माण कार्य।	159.52	142.67	142.67	142.67
	योग(लाख में)	1022.22	924.5	924.5	924.5

(रूपये नौ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र)

3- नियम एवं शर्तेः-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा

निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर/पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 20.05.2025, संख्या-1521/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 07.07.2025, संख्या-1759/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 06.08.2025 एवं संख्या-2070/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 17.08.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) मियावाकी पद्धति से वृक्षारोपण तथा हार्टीकल्चर के कार्य का ओ० एण्ड एम० निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कराया जाये। कार्य प्रारंभ कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारंभ होने के उपरांत भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(6) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के महापौर/अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्टा/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

(13) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) व्यय की गयी धनराशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समायान्तर्गत उपलब्ध कराया जाये।

(15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(17) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 9,24,50,000 (रुपये नौ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801920800 पार्कों का निर्माण एवं विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
UDAI BHANU TRIPATHI
Date: 17-03-2026
16:25:12

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव ।

<u>सख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, अमेठी, महराजगंज, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, ललितपुर एवं बलरामपुर, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
5. अध्यक्ष नगर पालिका परिषद गौरीगंज, जनपद-अमेठी, नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद-महरांजगंज, नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद-महराजगंज, नगर पालिका परिषद आंवला जनपद-बरेली, नगर पालिका परिषद लोनी, जनपद-गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद हरदोई, जनपद-हरदोई, नगर पालिका परिषद ललितपुर, जनपद-ललितपुर, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
6. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद गौरीगंज, जनपद-अमेठी, नगर पालिका परिषद महराजगंज, जनपद-महरांजगंज, नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार, जनपद-महराजगंज, नगर पालिका परिषद आंवला जनपद-बरेली, नगर पालिका परिषद लोनी, जनपद-गाजियाबाद, नगर पालिका परिषद हरदोई, जनपद-हरदोई, नगर पालिका परिषद ललितपुर, जनपद-ललितपुर, नगर पालिका परिषद, बलरामपुर, जनपद-बलरामपुर।
7. संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, उ०प्र०।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-9, उ०प्र० शासन।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Digitally signed by
आज्ञा से, PARAS NATH
Date: 17-03-2026
16:26:45

(पारस नाथ)
अनुसचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-17/03/2026

प्रेषण संख्या:- 1269280
आवंटन आदेश संख्या:- 001-I-1269280-2026-9-8002-002-2-2024
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
192 - नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता
08 - पार्कों का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	बरेली-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14994000 14994000	14994000 14994000
2	हरदोई-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14877000 26185000	14877000 26185000
3	ललितपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	13310000 13310000	13310000 13310000
4	गाजियाबाद-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	6491000 6491000	6491000 6491000
5	महाराजगंज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	18084000 18084000	18084000 18084000
6	बलरामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	14267000 14267000	14267000 14267000
7	अमेठी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10427000 10427000	10427000 10427000
	योग	वर्तमान प्रगामी	92450000 103758000	92450000 103758000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया नौ करोड़ चौबीस लाख पचास हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दस करोड़ सैंतीस लाख अट्ठावन हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव